चेतन प्रकाश जैन, आईआरपीएस
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
CHETAN PRAKASH JAIN, IRPS
Joint Secretary & Financial Adviser

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Council of Scientific & Industrial Research
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001

सं. 42-1(1)/कॉम्प/एकाउंट्स/2025-26
दिनांक: 09 सितंबर 2025

सेवा में,
सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: प्रयोगशाला एवं मुख्यालय आरक्षित निधि (एलएचआरएफ) के सृजन एवं उपयोग तथा संबंधित मामलों के संबंध में दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति-संबंधी।

महोदया/ महोदय,

महानिदेशक-लेखा परीक्षा (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग), सीएजी कार्यालय से हाल ही में प्राप्त एलएचआरएफ पर विषय विशेष अनुपालन लेखा परीक्षा (एसएससीए) के प्रतिवेदन का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदन में सीएसआईआर की कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में एलएचआरएफ के सृजन और उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण इंगित किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रेक्षणों में कुछ निम्नलिखित हैं: -

(i) प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध जीएसटी/ सेवा कर के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलआरएफ को अंतरण।

(ii) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में उपलब्ध शेष राशि का निपटान उनकी समाप्ति तिथि के बाद भी न किए जाने के कारण एलआरएफ की न्यूनोक्ति।

(iii) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय।

(iv) गैर-अनुमेय मदों पर एलआरएफ का उपयोग।

(v) एक वित्त वर्ष में सृजित एलआरएफ के 1/3 भाग का अगले वित्त वर्ष में उपयोग न किया जाना।

3. लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का समाधान करने और भविष्य में ऐसे प्रेक्षणों से बचने हेतु सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए: -

(i) प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के पास उपलब्ध जीएसटी/सेवा कर के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को एलआरएफ या किसी अन्य शीर्ष में अंतरण करना उचित नहीं है। एलआरएफ या किसी अन्य शीर्ष में पहले से अंतरित ऐसी कोई भी राशि तुरंत मूल शीर्ष में वापस लौटाई जाए और सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इस मामले पर अगले निर्देश जारी होने तक उसी शीर्ष में रखा जाए।

(ii) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में उपलब्ध शेष राशि का उनके पूरा होने की तिथि के बाद भी निपटान न किया जाना एक गंभीर मामला है। इस संबंध में, आपका ध्यान इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के दिनांक 22 जनवरी 2024 का अर्ध.शा. पत्र संख्या 42-4(5)/ एकाउंट्स /2023-24 और दिनांक 08 जुलाई 2025 का अर्ध.शा. पत्र संख्या 42-1(1)/कॉम्प/ एकाउंट्स /2025-26 (प्रति संलग्न) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि सीएसआईआर की कई प्रयोगशालाओं द्वारा इस क्षेत्र में अभी भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि प्रयोगशाला के पीएमई/बीडीजी प्रभाग द्वारा ऐसी सभी परियोजनाओं की समीक्षा नियमित आधार पर की जाए तथा बंद पड़ी परियोजनाओं में उपलब्ध शेष राशि

Tel. : +91-11-23711595 Fax : +91-11-23325508, 23710618, 23714788 E-mail : fa@csir.res.in

का निपटान इस विषय पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर किया जाए । इन निर्देशों का अनुपालन न करने पर ऐसी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के अनुदान आबंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(iii) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में अतिरिक्त व्यय संबंधी विषय पर सीएसआईआर के दिनांक 30.09.2014 के पत्रांक 41(43)/2004-आईए (प्रति संलग्न) द्वारा पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भुगतान में व्यय उस परियोजना की प्राप्ति (प्राप्तियों) से अधिक नहीं होना चाहिए । इस क्षेत्र में लेखापरीक्षा की अतिरिक्त आलोचना से बचने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

(iv) सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों द्वारा सृजन और उपयोग संबंधी मौजूदा सीएसआईआर दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें कोई विचलन न हो । यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 21.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-2(11)/99(एलआरएफ)-रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस मामले में दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और वार्षिक लेखाओं के साथ हर वर्ष इस आशय संबंधी प्रमाण पत्र दें । इस प्रमाण पत्र में लिखा हो कि ***"यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्त वर्ष के लिए एलआरएफ/एलएचआरएफ के सभी व्यय सीएसआईआर के दिनांक 04.09.2000 के पत्रांक 1(11)/ लेखा / 2000-2001 द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए थे । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी अनुदान से व्यय करने के लिए लागू सभी मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम, विनियम और निर्देश एलआरएफ/एलएचआरएफ के व्यय के लिए समान रूप से लागू किए गए थे ।"***

(v) गत वर्ष में सृजित राशि की कम से कम एक तिहाई राशि के बराबर एलएचआरएफ का उपयोग करने संबंधी प्रावधान का अनुपालन न करने के संबंध में सीएजी परीक्षण के प्रेक्षण का ध्यान रखते हुए सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्ष में एलएचआरएफ का उपयोग इस तरह सुनिश्चित करें कि वह सामान्य रूप से गत वर्ष में सृजित राशि की एक तिहाई राशि से कम न हो (सीएसआईआर के दिनांक 04.09.2000 के पत्र संख्या 1(11)/लेखा/2000-2001 द्वारा अधिसूचित सीएसआईआर एलएचआरएफ दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न) ।

4. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को यह सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों तथा सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी एलएचआरएफ दिशानिर्देशों का अक्षरशः पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(चेतन प्रकाश जैन)
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, सीएसआईआर की जानकारी हेतु
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर
3. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रमुख
4. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/ मुख्यालय के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/ वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ उप वित्त सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
5. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/ मुख्यालय के वरिष्ठ उप सचिव/ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक /उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक /अवर सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी
6. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/ मुख्यालय के वरिष्ठ भंडार एवं क्रय नियंत्रक / भंडार एवं क्रय नियंत्रक / भंडार एवं क्रय अधिकारी
7. आईटी प्रमुख – इस अनुरोध के साथ कि इसे सीएसआईआर वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं
8. कार्यालय प्रति